समाहरणालय, नालन्दा।

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

प्रपत्र VII

समाहर्ता/अपर समाहर्ता–सह–समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिघोषणा

(अधिनियम–30/2013 की धारा–19(1) के अधीन)

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा परियोजना चंडी–सरमेरा राज्य उच्च पथ–78 निर्माण हेतु ग्राम–भेण्डा, थाना–बिहार, थाना सं0–13, अंचल–रहुई, जिला–नालन्दा में कुल 1.485 एकड़ यानि 0.600971 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 1.485 एकड़ यानि 0.600971 हेक्टेयर है और जो ग्राम–भेण्डा, थाना–बिहार, थाना सं0–13 अंचल–रहुई जिला–नालन्दा में है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम स0	खाता सं0	सर्वेक्षण भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	65	996	निजी	धनहर	0.01	शिव प्रसाद वल्द स्व0 श्री महतो सा0–भिण्डा	881	1010	957	994 995
2	65	999	निजी	धनहर	0.13	लाल बिहारी सिंह वल्द स्व0 भागवत सिंह सा0–सोसंदी	887	998	1000	989
3	65	1002	निजी	धनहर	0.10	सिद्धेश्वर सिंह वल्द स्व0 बनारस सिंह सा0–सोसंदी	1003	1001	1005 1008	1000
4	65	1003	निजी	धनहर	0.09	शिव प्रसाद वल्द स्व0 श्री महतो सा0–भिण्डा	984	1002	981 1004	1000
5	65	1012	निजी	धनहर	0.20	अर्जुन प्रसाद वल्द स्व0 प्रयाग प्रसाद सा0–भिण्डा	1010	1017	1013 1014	823
6	65	1016	निजी	धनहर	0.07	मनोहर प्रसाद वल्द स्व0 काशी महतो सा0–भिण्डा	1014 1015	1024 1025	882	1117
7	65	1022	निजी	धनहर	0.18	अभय शंकर प्रसाद वो अजित प्रसाद वल्द स्व0 बनारस प्रसाद सा0–भिण्डा	1023	1021	1027	1020
8	65	1029	निजी	धनहर	0.035	दिनेश प्रसाद वो अवधेश प्रसाद वल्द बिन्दा महतो सा0–भिण्डा	1027	1032	1030	-
9	65	1033	निजी	धनहर	0.15	अनुज प्रसाद वो नंदकिशोर प्रसाद वल्द स्व0 गान्दो प्रसाद सा0–भिण्डा	1021	1032	1029	1034
10	37	1045	निजी	धनहर	0.065	नंदकिशोर प्रसाद वल्द बेचन महतो सा0–भिण्डा	1039	1058	1044 1046	1057
					0.065	उमेश कुमार वो रंजीत कुमार सिंह वल्द कैलाश महतो सा0–भिण्डा				
					0.13	लाल बिहारी सिंह वल्द स्व0 भागवत सिंह सा0–सोसंदी				
11	207	1079	निजी	धनहर	0.08	वाकर उद्दीन वल्द बहीद उद्दीन सा0–बारादरी बिहारशरीफ	1077 1078	1093	1057 1095	1074 1080
12	177	1135	निजी	धनहर	0.18	शिव प्रसाद वल्द स्व0 श्री महतो सा0–भिण्डा	1114 1119	1655	1136	1134

यह अधिघोषणा हितवद्ध व्यक्यिों को आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0–30/2013 की धारा–15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जॉच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हृत किये गये है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:

ग्राम–भण्डारी, थाना–बिहार, थाना सं0–17, अंचल–रहुई, जिला–नालन्दा क्षेत्रफल 1.485 एकड़ यानि 0.600971 हेक्टेयर उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पडे कोयला खदान, लौह–पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज है, ऐसे भागों मे पडे हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोडकर, आवश्यक नही है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैः–

प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, नालन्दा द्वारा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार किया गया। प्रस्ताव को समाहर्त्ता, नालन्दा द्वारा अनुमोदन करते हुए आयुक्त–सह–पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, पटना प्रमंडल पटना को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है। आयुक्त–सह–पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, पटना प्रमंडल पटना द्वारा स्वीकृति दी गयी जिसकी सूचना पत्र संख्या–283/गो0, दिनांक–11.05.2017 से सूचित है कि सरकार द्वारा भूमि अर्जन के फलस्वरूप अनैच्छिक रूप से विस्थापित होने बाले परिवार/व्यक्तियों की संख्या शून्य है।

समाहर्त्ता,
नालन्दा।

ज्ञापांक 1061 / दिनांक 13/05/2017

प्रतिलिपिः– निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को स्थानीय भाषा के दो समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित करने और प्रकाशित संस्करण को इस कार्यालय एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय नालन्दा को यथाशीघ्र भेजने हेतु।

प्रतिलिपिः– उप समाहर्त्ता प्रभारी सामान्य शाखा, नालन्दा बिहारशरीफ को जिला गजट के अगले साधारण/असाधारण अंक में प्रकाशित कराने और इसकी (10) दस अतिरिक्त प्रतियॉ जिला भू–अर्जन कार्यालय, नालन्दा को प्रेषित करने हेतु।

प्रतिलिपिः– जिला अवर निवंधक, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

प्रतिलिपिः–सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी(NIC)नालन्दा को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्ता, नालन्दा/अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ/अंचल अधिकारी, रहुई एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पठ पर प्रकाशित हेतु

प्रतिलिपिः– निदेशक, भू–अर्जन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
नालन्दा।